मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग

मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री

(चतुर्थ श्रेणी लिपिक वर्गीय)

सेवा भर्ती नियम, 1987

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
1993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 1987 में प्रकाशित

भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 1987

क्र. एफ.-13-1-86-सात-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी की सेवा में भरती पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासन मुद्रण तथा लेखन सामग्री चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1987 है.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(1) ''अनुसूचित जनजाति का सदस्य'' से अभिप्रेत है किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसके भीतर के समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, का सदस्य ;

(2) ''अनुसूचित जनजाति का सदस्य'' से अभिप्रेत है किसी जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसके भीतर के समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, का सदस्य;

(3) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

3. **प्रयुक्ति.**—ये नियम, अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनसे संबंधित वेतनमान, पदों के लिये भरती की पद्धति, आयु सीमा तथा उक्त पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं. अनुसूची में वर्णित पदों की इकाई स्तर पर पदोन्नति/नियुक्ति द्वारा भरा जायगा. ''इकाई स्तर'' का तात्पर्य यह है कि यदि एक स्थान पर एक से अधिक कार्यालय हों तो इन सभी को एक ही इकाई माना जावेगा, जैसे भोपाल में प्रधान कार्यालय, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय तथा लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार हैं अतएव इन्हें एक ही इकाई माना जावेगा.

5. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुकम्पा नियुक्तियों, विकलांग व्यक्तियों तथा शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के एक सदस्य के लिये राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबन्धित किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायत को प्रभावित नहीं करेगी.

अनु

(नियम 4

अ. क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भरती की पद्धति (क्या सीधी भरती द्वारा है या पदोन्नति द्वारा) तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रिटेल सप्लायर	2	चतुर्थ श्रेणी अनुसचिवीय.	485—10—575—15—740	पदोन्नति द्वारा शतप्रतिशत
2	जमादार	1	तदैव	400—5—425—10—525	तदैव
3	दफ्तरी	1	तदैव	400—5—425—10—525	तदैव
4	चपरासी	14	तदैव	380—5—425—10—495	सीधी भरती द्वारा शतप्रतिशत
5	निम्नतर (इनफिरियर चतुर्थ श्रेणी).	55	तदैव	380—5—425—10—495	तदैव
6	पैकर	8	तदैव	380—5—425—10—495	तदैव
7	हम्माल	25	तदैव	380—5—425—10—495	तदैव
8	इश्यूचेकर	7	तदैव	380—5—425—10—495	तदैव
9	क्लिनर	4	तदैव	380—5—425—10—495	तदैव
10	माली	2	तदैव	380—5—425—10—495	तदैव

टिप्पणी.— (1) सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों में से 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत पद क्रमशः अनुसूचित जातियों

(2) उन पदों में भी जो पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले हैं, वही प्रतिशत जो सीधी भरती के लिए विहित किया

(3) सीधी भरती से भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण राज्य सरकार द्वारा पृथक् से जारी किये गये नियमों के

(4) सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों में से केवल तीन प्रतिशत पद विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षित रखे

सूची
देखिए)

न्यूनतम आयु सीमा	केवल सीधी भरती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं	परीवीक्षा/ परीक्षण यदि कोई हो, की कालावधि	पदोन्नति द्वारा भरती के मामले में अर्हता	पदोन्नति द्वारा भरती के मामले में वह श्रेणी जिससे पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
. .	. .	दो वर्ष	कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए.	इश्यू चेकर	जैसी कि नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए.
. .	. .	तदैव	तदैव	चपरासी / निम्नतर (इन्फीरियर).	तदैव
. .	. .	तदैव	तदैव	चपरासी निम्नतर (इन्फीरियर).	तदैव
18	कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए.	तदैव	. .	. .	तदैव
18	तदैव	तदैव	. .	. .	तदैव
18	तदैव	तदैव	. .	. .	तदैव
18	तदैव	तदैव	. .	. .	तदैव
18	तदैव	तदैव	. .	. .	तदैव
18	तदैव	तदैव	. .	. .	तदैव
18	तदैव	तदैव	. .	. .	तदैव

तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे गये हैं.

गया है, अर्थात 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा गया है.

अनुसार किया जायेगा.

गये हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
द. गो. भावे, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 1987

क्र. एफ.-13-1-86-सात-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.-13-1-86-सात-5, दिनांक 8 जुलाई 1987 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरतचन्द्र चतुर्वेदी, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 1987

No. F. 13-1-86- VII - 5 .-In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules for regulating the method and field of recruitment of Class IV services on the establishment of Government Printing and Stationery Department, Madhya Pradesh, namely:—

1. **Short title.—** These rules may be called the Madhya Pradesh Government Printing and Stationery Class IV Service Recruitment Rules, 1987.

2. **Definitions.—**In these rules, unless the context otherwise requires,-

(1) "Member of Scheduled Caste" means a member of any caste, race or tribal or part of or group within a caste, race or tribal specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(2) "Member of Scheduled Tribe" means a member of any tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(3) " Schedule" means the Schedule appended to these rules.

3. **Application.—** These rules shall apply to every member of the service in respect of the posts specified in column (2) of the Schedule.

4. **Number of posts Classification and Scale of pay.—** The number of posts their classification, scales of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit and other conditions of service relating to the said posts shall be as specified in the Schedule. The posts mentioned in the Schedule will be filled in by promtion/appointment on unit level. "Unit Level" means that if more than one office is located at any particular place, it shall be treated as one single unit. For example three different offices viz. office of the Controller, Government Printing and Stationery, Government Central Press and Stationery and Publication Depot arc located at Bhopal, hence these offices shall constitute one unit

5. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, compassionate appointment and handicapped persons and a member of the family of Government servant who has died in harness in accordance with the orders issued by the State Government from time to lime in this regard.

SCHEDULE

(See, Rule-4)

S. No.	Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion) and percentage of vacancies to be filled by various methods
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Retail Supplier	2	Class-IV—Ministerial	485—10—575—15—740	By Promotion 100 percent.
2	Jamadar	1	Do.	400—5–425—10—525	By Promotion 100 percent.
3	Daftari	1	Do.	400—5–425—10—525	By Promotion 100 percent.
4	Peon	14	Do.	380—5—425—10—495	By Direct recruitment 100 percent.
5	Inferior Class-IV	55	Do.	380—5—425—10—495	Do.
6	Packer	8	Do.	380—5—425—10—495	Do.
7	Hammal	25	Do.	380—5—425—10—495	Do.
8	Issue Checker	7	Do.	380—5—425—10—495	Do.
9	Cleaner	4	Do.	380—5—425—10—495	Do.
10	Gardner	2	Do.	380—5—425—10—495	Do.

Note.—(1) From amoungst the posts which are to be filled in directly 16% and 20% posts have been

(2) The posts which are to be filled in by promotion the same percentage as prescribed in the

(3)The reservation for direct recruitment for Ex-Military personnel shall be made as per rules

(4) From amongst the posts which are to be filled in directly only 3% posts have been reserved

SCHEDULE

(See, Rule-4)

Minimum age limit.	for direct recruitment only Education or Qualification	Period of porbation/ trial if any	In case of recruitment by promotion Qualification	In case of recruitment by promotions grades from which promotion to be made	Departmental Promotion Committee
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
. .	. .	Two Years	Must have Passed V Class	Issue Checker	As Constitued by Controller, Printing & Stationery, Madhya Pradesh from time to time
. .	. .	Do.	Do.	Peon/Inferior	Do.
. .	. .	Do.	Do.	Do.	Do.
18	Must have passed V Class.	Do.	. .	. .	Do.
18	Do.	Do.	. .	. .	Do.
18	Do.	Do.	. .	. .	Do.
18	Do.	Do.	. .	. .	Do.
18	Do.	Do.	. .	. .	Do.
18	Do.	Do.	. .	. .	Do.
18	Do.	Do.	. .	. .	Do.

reserved for Shedule Castes and Scheduled Tribes Candidates respectively.

case of direct recruitment i.e. 16% and 20% have been reserved for Shedule Castes and Scheduled Tribes Candidates respectively.

issued by the State Government separately.

orthopedically handicapped persons.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

D. G. BHAVE, Principal. Secy.

शाकेमुभो—21—निमुतलेसाभो—3-4-93—50.